

in this Department. This is a good suggestion. Certainly, I will, personally, look into this suggestion. If the Salem Steel Plant is given autonomy to sell their own products, it would be more profitable. The Government will look into that.

श्रीमती छाया वर्मा: सर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ कि करीब पाँच-छः महीने पहले भिलाई इस्पात संयंत्र में एक पुरानी पाइपलाइन को बदलने के दौरान उसी स्थान पर सात लोगों की मौत हो गई, क्योंकि वह पाइपलाइन बहुत पुरानी हो गई थी। वह पाइपलाइन बहुत विलम्ब के बाद बदली गई। मैं यह जानना चाहती हूँ कि उसका विस्तार कब तक होगा? सर, संयंत्र का विस्तार चार मीट्रिक टन से बढ़ाकर सात मीट्रिक टन कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि उससे रोज़गार में कितना सृजन हुआ?

श्री धर्मेंद्र प्रधान: उपसभापति महोदय, एक ही प्रश्न है। वर्ष 2007 में जिन लोगों ने इसकी कल्पना की, गलत कल्पना की। जिस तरीके से उसका क्रियान्वयन किया, वह भी गलत था। यह विषय किसी पर राजनीतिक आरोप का विषय नहीं है, यह व्यवस्था का विषय है। सीएजी ने उस पर टिप्पणी की है। इस विषय की सोच, 2007-08 के दिनों में जिनके हाथों में बागडोर थी, आज वे जितना प्रयत्न कर रहे हैं, उतना वे उस समय करते, तो शायद देश का नुकसान नहीं होता और आज यह गंभीर स्थिति पैदा नहीं होती। बाकी, इन्होंने जो वहाँ पाँच-छः महीने पहले हुए एक्सिडेंट के बारे में कहा है, उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... विप्लव जी, पहाड़ में स्टील ठीक से पहुँचता है। आप वरिष्ठ सदस्या हैं, कृपा करके टीका-टिप्पणी करके हाउस का atmosphere खराब न करें। आप बड़ी बहन हैं, आप छोटी बहन पर थोड़ी कृपा तो कीजिए।

मेरी बहन छाया जी ने एक अच्छा सवाल उठाया है। कुछ महीने पहले भिलाई स्टील प्लांट में एक एक्सिडेंट हुआ, जिसके बाद वहाँ के सीईओ को बदला गया है और एक नया सीईओ नियुक्त किया गया है, वे इस काम में तत्पर हैं। प्लांट में ऐसी दुर्घटना न हो, इस बारे में उनकी जो चिन्ता है, वह वाजिब है, उस पर हम ध्यान देंगे।

SHRI C.M. RAMESH: Sir, in Andhra Pradesh Reorganisation Act, there is a provision to establish a steel plant in Kadapa District, which is my District also. I had been on a hunger strike for 12 days for this task. I request the Minister, through you, to tell me as to what the status of this Plant is.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, this is altogether a separate question. But, I know when the Andhra Pradesh Reorganisation Act was passed for bifurcation of the State, a provision was made for setting up of a steel plant in Andhra Pradesh. I will look into that.

Recommendations of second National Commission on Labour

*257. **SHRI RIPUN BORA:** Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government proposes to club 44 labour laws into 4 codes as part of reforming labour laws;

(b) the reason behind amalgamation and the benefits to labourers in general therefrom;

(c) whether Government has asked suggestions from labour organisations, unions and experts on the labour laws reforms thereof; and

(d) if so, the recommendations of Second National Commission of Labour and the suggestions from experts thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Ministry has taken steps for drafting four Labour Codes namely The Code on Wages; The Code on Industrial Relations; The Code on Social Security and Welfare; and The Code on Occupation Safety, Health and Working Conditions by simplifying, amalgamating and rationalizing the relevant provisions of the existing Central Labour Laws.

(b) Reforms in labour laws are an ongoing process to update the legislative system to address the need of the hour so as to make them more effective, flexible and in sync with emerging economic scenario. The initiatives of amalgamating the labour laws will reduce the complexity in compliance due to multiplicity of labour laws and facilitate setting up of enterprises and thus creating the environment for generating employment opportunities without diluting basic aspects of safety, security and health of workers. As far as workers are concerned, the Labour Codes envisage extension of minimum wages and timely payment of wages to all 50 Crore workers, provision of appointment letter, provision for annual medical check-up, extension of safety and other welfare provisions to all workers working in an establishment of 10 or more (in case of mines and docks, the provisions apply without any threshold) etc.

(c) The formulation of various Codes involved consultation with stakeholders including Central Trade Unions, Employers' Associations and State Governments in the form of tripartite consultation. Besides, the draft Labour Codes was also placed on website of the Ministry seeking comments/suggestions from all stakeholders including general public.

(d) Major recommendations of the Second National Commission on Labour *inter alia* include:

1. Existing set of labour laws should be broadly grouped into four or five groups of laws pertaining to: (i) Industrial relations (ii) Wages (iii) Social security (iv) Safety (v) Welfare and working conditions.
2. The Central Government and the State Government should have a uniform policy on holidays.
3. Flexibility in the hours of work per week and compensation for overtime.
4. To change the basis of tenure in all jobs (permanent as well as non-permanent) to contractual and for stipulated periods preceded by changes in social attitude etc.
5. The evolution of a system of constant up-gradation of employability through training in a wide spectrum of multiple skills
6. The setting up of a system of social security that includes unemployment insurance and provisions for medical facilities.
7. The institution of a mandatory system of two contracts - one, an individual contract and two, a collective contract with workers union.
8. The Government may laid down list of highly paid jobs who are presently deemed as workman category as being outside the purview of the laws relating to workman. Another alternative is that the Government fixes a cut off limit of remuneration which is substantially high enough.

SHRI RIPUN BORA: Sir, I must congratulate the Labour Minister for giving a very detailed reply prepared in a meticulous way, and he has addressed all the issues. Even then, I have one confusion. In part (b) of the reply, the Labour Minister has mentioned in the last sentence that the Labour Codes envisage extension of minimum wages and timely payment of wages, provision of appointment letter, provision of annual medical check-up, and so on. But, in the last line, it is written that these provisions will be applicable to all workers working in an establishment of 10 or more, etc. Sir, this is my question. Why is this injustice being done to the labour? Does this mean that a labourer, who is poorly paid, who is the deprived section, will have to wait for 10 years or more to get that benefit? So, will the Minister correct this?

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदय, माननीय सदस्य सही बात कह रहे हैं, किंतु आज़ादी के बाद से हमारी जो व्यवस्था है, हम 20 से अधिक सदस्यों की चिंता करते हैं और हम लोगों ने इसमें 10 से अधिक सदस्यों की बात की है, जिसमें करीब 15 प्रतिशत कर्मचारी ही आते हैं और बाकी इसके पीछे के कर्मचारी हमारी इस व्यवस्था में अभी तक नहीं आते हैं। हमारी सरकार और आदरणीय प्रधान मंत्री जी इस ओर चिंतित हैं और वे देश के सभी कर्मचारियों की चिंता में लगे हुए हैं, इसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हम आपकी भावना से सहमत हैं, किंतु आज की व्यवस्था में 10 से आगे के कर्मचारी ही, जिनकी संख्या 10-12 परसेंट के करीब है, हम उनकी बात कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि Code on Wages, जिसको हमारी सरकार ने मंत्रिपरिषद् में पास किया है, वह शीघ्र ही सदन में चर्चा के लिए आ रहा है। तब हम बैठकर इन सारी बातों की उस पर चर्चा करेंगे। मैं ज्यादा राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूँ। वर्ष 2002 में संशोधन तय हुए थे, Second Commission में यह तय हुआ कि हम श्रम कानूनों में संशोधन करेंगे और उस समय के 44 कानूनों को 4 कोड्स में बनाने का तय किया था, दुर्भाग्य है कि पिछले 10 वर्षों में इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार आयी, तब हमने इस ओर चिंता की और आज मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूँ कि चार कोड्स में से दो को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है, जो शीघ्र ही इस सदन में आ रहे हैं। हम आप सब की भावनाओं से सहमत हैं कि हम मज़दूर का हित कैसे करें और कैसे अच्छी दिशा में चलें, उसके हिसाब से काम हो रहा है।

श्री उपसभापति: मंत्री जी, धन्यवाद। दूसरा सवाल...

SHRI RIPUN BORA: Sir, in their Survey Report, it has been revealed that during the last five years' period, the average women's participation in employment dipped over 70 per cent, against the years' period preceding that. The women employees in private sector of the country earn less money. So, I want to know from the Minister as to what steps he will take to remove this gap to give justice to the women employees and labour.

श्री संतोष कुमार गंगवार: सर, ऐसा नहीं है। हम इसकी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन मैं सदन को आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए maternity leave 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी है। यह एक बड़ा कदम है, जिसे सारी महिला साथियों ने स्वीकार किया है। इसके कारण यह बात आ रही है कि अब महिलाओं का रोज़गार कम हो रहा है, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, किंतु सरकारी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है, पर निजी क्षेत्र में 12 सप्ताह की बजाय 26 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी तो निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए कुछ समस्या ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यदि कोई बात है और आप मुझे स्पेसिफिक सूचना देते हैं तो हम उसकी जानकारी भी लेंगे और आपको भी उससे अवगत कराएंगे।

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, with due respect, as a functionary of a national trade union, I would like to say that there was no proper consultation on the labour

law amendments. Through you, Sir, I would request the hon. Minister to inform the House as to which of the national trade unions were consulted. Then, Sir, there are so many cases pending before the industrial tribunals and courts. Which law will be applicable to these pending cases?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Elamaram Kareemji, for being very specific to your question.

श्री संतोष कुमार गंगवार: उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य अक्सर हमसे मिलते रहते हैं। महोदय, इस संदर्भ में हम लोगों की बहुत सी बैठकें हुई हैं। मैं कम से कम 9-10 बार मज़दूर संगठनों से, employees' association से और राज्यों से बात कर चुका हूँ। इसके बाद भी कोई specific बात अगर आप बताना चाहते हैं तो आप कभी भी हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। जब सदन में इस विषय पर चर्चा होगी, उस समय आपकी जितनी भी आशंकाएं हैं, उन्हें दूर करने का काम किया जाएगा। मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब चाहें, हमारे कार्यालय में आकर जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं, वे दें। निश्चित रूप से सभी मज़दूर संगठनों ने इसका स्वागत किया है और इस पर सहमति व्यक्त की है।

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, he did not answer the question. Sir, the House needs your protection.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think he has already told that he will give proper information.

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, the question is put in the House, the answer should be given in the House. Sir, he asked a pertinent question that there are so many cases pending in the High Court, the Supreme Court and Industrial Tribunals. Which law will be applicable to these pending cases, whether the old law will be applicable or a new law will be applicable? Sir, this way it will lead to collapse of everything.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. You know the Minister has already replied. He has requested the Member to come and give the suggestions that he has.

श्री कामाख्या प्रसाद तासा: उपसभापति महोदय, असम में 900 से ज्यादा tea gardens हैं। ...**(व्यवधान)**... उनमें काम करने वाले permanent and temporary labourers जो हैं, उनकी संख्या 9 लाख से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त वहां पर small tea gardens की संख्या more than four lakh है। Is plantation labour covered by the 44 labour laws in our country? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो Plantation Labour Act है, उसके संशोधन और उसे कार्यरूप देने के लिए Ministry ने क्या व्यवस्था ली है, कृपया उसके संबंध में बताएं।

श्री संतोष कुमार गंगवार: उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो पुराना कानून है, वही चलेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि एक सप्ताह में ही वह हाउस में आज जाएगा। उसके बाद पुराने कानून बदल जाएंगे और नए के अनुसार हम लोग काम करेंगे। अगर आपकी कोई specific शिकायत है और आप उसके बारे में बताएंगे, तो उसका समाधान करवाया जाएगा।

प्रो. मनोज कुमार झा: उपसभापति महोदय, मेरा एक specific सवाल है। सन् 1991 से labour reforms की जब बात होती है, तो मुझे वह oxymoron लगता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मैं सीधा कहूंगा कि Workmen's Compensation Act, Industrial Dispute Act - ये सारे emerge हुए और ये तमाम कानून emerge हुए, Article 19 से - Freedom of Association से। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वे एक गारंटी दें क्योंकि हमें पता है कि जब ये थे या आप हैं, labour reforms के नाम पर क्या होता है, वह हम सब जानते हैं। तो Article 19 जो है...

श्री उपसभापति: मनोज जी, सवाल पूछिए।

प्रो. मनोज कुमार झा: वह protected रहेगा, आप इसकी गारंटी सदन में दें।

श्री संतोष कुमार गंगवार: उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की रुचि थी और 2002 में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम उस समय जो 44 श्रम कानून हैं, इन्हें सरलीकृत करके चार codes में लाने का काम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2004 से लेकर 2014 तक इन पर कोई कदम, कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अब हम लोग आए हैं तो हम लोग तत्काल इसमें सक्रिय हुए हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी की रुचि है कि इसे एक सही दिशा में लेकर जाने का काम किया जाए। Cabinet दो कानून पास कर चुकी है और दो में देश का कानून अतिशीघ्र ही इस सदन में आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि जो आशंकाएं आप व्यक्त कर रहे हैं, उनमें इन आशंकाओं का पूरा समाधान होगा। मेरा विश्वास है, तब आप हमारी सारी बातों से सहमत होंगे। अगर आपको इस संदर्भ में कभी भी कोई सुझाव नज़र आता है, तो आप यहां पर आ हमारे ऑफिस में आकर हमें दे सकते हैं।

Hiring of co-pilots by Air India

*258. SHRI A.K. SELVARAJ: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Air India is in the process of hiring around 270 co-pilots when Government has initiated the disinvestment process for loss making carrier;

(b) whether it is also a fact that Air India has also created a new post of Chief Pilot as well as two Executive Director level position in the IT and Civil Departments; and